

फा0सं0 14/68/2011-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक 29/03/2012

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश - 462004 ।
2. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, डी के भवन,
रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय:- पूर्ववर्ती म. प्र. राज्य के लोक निर्माण विभाग के कर्मियों के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नआवंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहने का है लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित तीन (3) राज्य कर्मियों ने उनके छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये हैं। राज्य सलाहाकार समिति की बैठक में 23.01.2012 को उनके प्रशासी विभाग के मंतव्य के आलोक में उनके अभ्यावेदनों पर विचार हुआ और समिति ने उनके राज्य पुर्नआवंटन की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है । अतः लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित तीन (3) कर्मियों का राज्य पुर्नआवंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है ।

| क्रम सं. | कर्मियों का नाम/पदनाम | पुर्नआवंटन का आधार |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | श्री बाबू लाल पनीका, उपयंत्री | अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता है |
| 2 | श्री राम प्रसाद वर्मा, उपयंत्री | अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता है |
| 3 | श्री रामकृष्ण बघेल, उपयंत्री | अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता है |

3 इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार उपरोक्त कर्मियों के राज्य पुर्नआवंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । इससे पहले इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वेबसाईट (persmin.nic.in → Dopt → State reorganization → Recent orders → M.P.) पर जाँच लें ।

भवदीय,


o/c महेंद्र सिंह
(महेंद्र सिंह शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाष : 24651898

प्रति:- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश ।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, ~~मध्य प्रदेश~~, डी.के.एस.भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

प्रतिलिपि:-

सम्बन्धित मिसिल
14/71/2011- एस.आर. एस,



6